

नेट प्रजेन्ट वैल्यू (NPV) की गणना

मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिनांक 28.03.2008 तथा 9.5.2008 को पारित आदेशों के अनुपालन में भारत पेट्रोलियम ऑयल कार्पोरेशन लि० द्वारा मथुरा— सादाबाद—जलेसर रोड (एच०एस०— 122 न्यू) कि०मी० 70 (चैनैज— 69.411) खसरा सं०— 1378 स, ग्राम— जलेसर बाहर चुंगी, तहसील— जलेसर जिला—एटा न्यू रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) के सम्पर्क मार्ग (प्रवेश एवं निकास) के निर्माण हेतु 0.0486790 है० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित होने वाली संरक्षित वन भूमि की एन.पी.वी. की गणना निम्न प्रकार है :-

स्थल का नाम	वन प्रकार	क्षेत्रफल है० में	ईको क्लास	धनत्व	प्रति है० वैल्यू रू० में	कुल वैल्यू रू० में
मथुरा—सादाबाद—जलेसर रोड (एच०एस०— 122 न्यू) कि० मी० 70 (चैनैज— 69.411) खसरा सं०— 1378 स, ग्राम— जलेसर बाहर चुंगी, तहसील— जलेसर जिला—एटा न्यू रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प), के सम्पर्क मार्ग (प्रवेश एवं निकास) के निर्माण	संरक्षित वन	0.0486790	III	0	6,26,000	30373.054 अथवा 30474.00
योग :-						30474.00
रू० तीस हजार चार सौ चौहत्तर मात्र						

10/8/21
(एस०के०एम)

प्रभारी प्रभागीय निदेशक
सांसाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।